थाना गम्भीरपुर

दम्पत्ति से लूट की घटना करने वाले 2 शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार/घायल

➡ पूर्व की घटना:-

दिनांक 26.10.22 को वादी संजय राम S/O दीपचन्द्र ग्राम सैदपुर पो.पन्दहा थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ चंद्रभानपुर (छावनी) लालगंज, आधार कार्ड संसोधन कराने के लिए गए थे।संसोधन कराने के उपरान्त घर वापसी के समय श्री शारदा माता डिग्री कालेज के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा असलहे दिखाकर मोबाइल (REALMI जिसकी कीमती 14000 रू. Mb No 9984375340, 8957474429) पति पत्नी का आधार कार्ड, गाडी का पेपर ,ड्राइविंग लाइसेंस,इंश्योरेंस आदि छीन लिया गया था।

➡वादी की तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 367 /22 धारा 392 IPC (बढोत्तरी धारा 411 IPC) थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।

➡घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 05.11.22 को थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह चेकिंग के दौरान विन्द्रा बाजार में मौजूद थे कि सूत्रों से सूचना प्राप्त हुयी कि दिनांक 26.10.2022 को श्रीरामगंज बाजार के पास हुयी मोबाइल लूट से सम्बन्धित बदमाश मोटरसाइकिल से भवतर की तरफ से गोमाडीह की तरफ आ रहे है।

इस सूचना पर उ.नि.शिवसागर यादव चौकी प्रभारी गम्भीरपुर को मय हमराह बिंद्रा बाजार हाइवे तिराहा पर पहुँचने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस टीम गोमाडीह भठ्ठे की ओर जाने वाले तिराहे के पास रूककर अपराधियों के आने का इंतजार करने लगी कि कुछ देर बाद भवतर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुयी दिखाई दी पुलिस टीम द्वारा मोटरसाईकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो सवार अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से मोडकर भागने लगे जिससे अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी। दोनों अपराधी उठकर अपने-अपने पास रखे कट्टे से थानाध्यक्ष व पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से एक फायर करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल होकर गीर गये। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संजय यादव पुत्र रामसिंगार यादव निवासी काला सिकंदर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ व सुशील मौर्या पुत्र रामलगन निवासी कुम्भ थाना बरदह आजमगढ़ के रूप में हुई।

➡अभियुक्त संजय के दाहिने पैर व अभियुक्त सुशील के बायें पैर में गोली लगी है। दोनो अभियुक्तों को चिकित्सकीय उपचार हेतु हास्पिटल भेजा गया है।

➡अभियुक्त संजय ने बताया की बरामद Realme मोबाइल को हम लोगो ने मिलकर श्रीरामगंज बाजार से दिनांक 26.10.22 को एक व्यक्ति से लुटा था। हमारा एक साथी विशाल यादव पुत्र गंगा प्रसाद जो मेरे ही गाँव का है वह दो घंटे बाद गोमाडीह मिलने वाला था उसके आने के बाद हम लोग सुबह टहलने के लिए निकलने वाली महिलाओं की चेन व लोगो की मोबाइल छिनने की घटना को अंजाम देने वाले थे।

बरामदगी

2 तमंचा 315 बोर

3 कारतूस खोखा 315 बोर

2 कारतूस जिदा 315 बोर

4 मोबाइल Realme

1 मोबाइल Vivo

2 मोबाईल Oppo

350 रूपये नकद।

1 मोटरसाइकिल।

पंजीकृत अभियोग

1-मु.अ.सं.375/2022 धारा 307,419,420 IPC व 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना गम्भीरपुर।

2-धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत बरामद वाहन सीज

आपराधिक इतिहास

मु.अ.सं. 367 /22 धारा 392 IPC (बढोत्तरी धारा 411 IPC) थाना गम्भीरपुर आजमगढ़.

गिरफ्तार अभियुक्त

1-संजय यादव पुत्र रामसिंगार यादव निवासी काला सिकंदर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

2-सुशील मौर्या पुत्र रामलगन निवासी कुम्भ थाना बरदह आजमगढ़

पुलिस टीम

थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय

उ.नि.शिवसागर यादव

HC मोतीचन्द्र

का.अनिल वर्मा

का. संदीप सिंह